राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

क्रमांकः एफ.1(2)कार्मिक/क-2/2007 जयपुर, दिनांकः 19.03.2020

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम, 2007 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा (संशोधन) नियम, 2020 है।

   (2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 4 का संशोधन.- राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम, 2007, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 4 के विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

   "(1) अनुसूची के स्तंभ 2 में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के प्रत्येक वेतनमान में सम्मिलित पदों का स्वरूप ऐसा होगा जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अवधारित किया जाये।"

3. नियम 6 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 6 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) में,-

   (i) विद्यमान प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

   "परन्तु कनिष्ठ वेतनमान के पद पर सीधी भर्ती राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।"; और

   (ii) विद्यमान निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक हटाया जायेगाः-

   "परन्तु यह और कि विकास अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी-जिला परिषद (जि.प.) के कुल पदों में से 10% पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा (सामान्य वेतनमान) के सदस्यों में से भरे जायेंगे।"

4. अनुचूची का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापन किया जायेगा, अर्थात्:-

"अनुसूची

क्र. सं.	पदों के वेतनमान का नाम	प्रतिशत सहित भर्ती की रीति		सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पदोन्नति		अभ्युक्तियां
		सीधी भर्ती	पदोन्नति		पदों के वेतनमान का नाम जिनसे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अतिकाल वेतनमान	-	100 प्रतिशत	-	चयन वेतनमान	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद के वेतनमान पर 3 वर्ष की सेवा और सेवा के सदस्य के रूप में 18 वर्ष की कुल सेवा।	-
2	चयन वेतनमान	-	100 प्रतिशत	-	वरिष्ठ वेतनमान	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद के वेतनमान पर 5 वर्ष की सेवा।	-
3	वरिष्ठ वेतनमान	-	100 प्रतिशत	-	कनिष्ठ वेतनमान	स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद के वेतनमान पर 5 वर्ष की सेवा।	-
4	कनिष्ठ वेतनमान	100 प्रतिशत		राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के नियम 12 में अभिकथित अर्हता।	-	-	-

"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(जय सिंह)
शासन उप सचिव

24/2020